पत्रांकः–3प / मु०मं०नि०यो०–19–04 / 2016(पार्ट–1) / 6993 / पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 25 / 7 / 2022

विषय :– **पंचायती राज विभाग अंतर्गत क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना से अनाच्छादित रह गये बसावटों को आच्छादित किये जाने के संबंध में।**

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–8043, दिनांक–21.12.2020, पत्रांक–18(गो०), दिनांक–06.05.2021, पत्रांक–3311, दिनांक–09.07.2021 एवं पत्रांक–3852, दिनांक–26.07.2021, पत्रांक–2933, दिनांक–28.03.2022 तथा 15वें वित्त आयोग से संबंधित पत्रांक–14(रा०), दिनांक–16.06.2020, पत्रांक–27(रा०), दिनांक–13.09.2021 एवं षष्ठम् राज्य वित्त आयोग से संबंधित स्वीकृत्यादेश सं०–58(स्वी०), दिनांक–11.03.2022।

महाशय,

आप अवगत हैं कि राज्य सरकार के सात निश्चय के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना / मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के संपूर्ण बसावटों को प्राप्त हो, के लिए विभागीय स्तर से 20 घरों से ऊपर के अनाच्छादित क्षेत्रों / बसावटों को चिन्हित करने का सर्वेक्षण कराया गया है।

जिलों से विभाग को प्राप्त कराये गये प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि अभी भी कई जिलों के कतिपय वार्डों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के अवशेष कार्य पूर्ण किये जाने हैं।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवार निदेश दिये जाते है :–

1) "हर घर नल का जल" अंतर्गत छूटे हुए घरों / बसावटों में नल के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था 15 वें वित्त आयोग की टाईड अनुदान की प्रथम 30% कर्णांकित राशि एवं षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की विकास निधि की टाईड निधि एवं सामान्य निधि की राशि से पूर्ण कराई जाय। इसी योजनान्तर्गत सार्वजनिक कुँओं का जीर्णोद्धार एवं उनके बगल में सोख्ता निर्माण का कार्य भी किया जाना है।
2) "हर घर तक पक्की गली–नालियाँ" अंतर्गत छूटे हुए बसावटों तक पक्की गली एवं नाली का निर्माण कार्य 15 वें वित्त आयोग के टाईड अनुदान की द्वितीय 30% कर्णांकित राशि एवं षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की विकास निधि की टाईड निधि की राशि से पूर्ण कराई जाय। तदोपरान्त 15 वें वित्त आयोग से अन्य कार्य किया जाना होगा।

C:\Users\user\Downloads\Letters 701-.docx 247

3) 15वें वित्त आयोग के टाईड अनुदान की प्रथम/द्वितीय कर्णांकित राशि के तहत ली जानेवाली अन्य योजनाओं का कार्य तभी कराया जाय, जब उपरोक्त वर्णित योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका हो अथवा पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध हो।

4) उपरोक्त दोनों योजनाओं में से जो योजना GPDP में Entry की गई है और अब तक अपूर्ण है, उन योजनाओं का क्रियान्वयन 15वें वित्त आयोग की Tied राशि से की जा सकेगी और अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होने वाली राशि से किया जा सकेगा।

यथाउपर्युक्त परिपेक्ष्य में अनुरोध है कि पंचायती राज विभाग अंतर्गत क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना/मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना से छूटे हुए घरों/बसावटों को चिन्हित करते हुए कर्णांकित निधि का उपयोग कर प्राथमिकता के आधार पर आच्छादन पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। उपरोक्त अनुदेश से सभी योजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण इकाई को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निदेशित किया जाय एवं इसकी सतत् समीक्षा की जाय। वर्णित कार्य छः माह में पूर्ण किया जाना अपेक्षित है।

विश्वासभाजन

मिहिर 21/7/22

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव